जनपद संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.06.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 15000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 327/ 2025 धारा 2(b)(I)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित 15000 रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को बरदहिया पुलिस चौकी के पास से नियमानुसार आज दिनांक 26.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

आपराधिक इतिहासः-
***अभियुक्त मो0 आरिफ उर्फ छेदी* -**
01.मु0अ0सं0 21/2025 धारा 326ए,109(1),351(3), 49 बीएनएस व 3/4 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 49/2022 धारा 147,302,34 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

प्रेम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 कृष्णानन्द शाह, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 उमेश कुमार, का0 विशाल सिंह।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अजय सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 460/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अंगद शर्मा पुत्र गरहन शर्मा निवासी भावपुर जंगल पट्टी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को मैलानी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 29.05.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 सचिन।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 26.06.2025 को ***सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 330/2016 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मु0 इबरार पुत्र कलीम सा0 बढ़या माफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त मु0 इबरार को जूर्म स्वीकार करने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का कारावास भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 500 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 26.06.2025 को ***सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 140/2002 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल हई पुत्र बुलाकी बंजारा सा0 भरवलिया बूधन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त अब्दुल हई को जूर्व स्वीकार करने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/8 सीएस एक्ट के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 400 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का कारावास भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1. विनोद कुमार पुत्र दयाराम निवासी जोरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रवीन्दर त्रिपाठी, का0 शिवम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1496 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियो को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरबी 1496 को थाना दुधारा अन्तर्गत परसा से कालर द्वारा खड़े ट्रक में पीछे स ट्रक द्वारा टक्कर मारने स दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.सतीश यादव पुत्र ओमशरण निवासी नौरांगाबाद थाना भीगाव जनपद मैनपुरी 02. हिमाशु पुत्र शेमनन्दन निवासी छबरा मऊ जनपद कन्नौज) घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से अपस्पाल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अजीजुल्लाह खाँ, आ0 अमित कुशवाहा, हो0चा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनों से 1,81,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनों से 1,81,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व कुल 5,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 26.06.2025 को ***मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 255/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार जायसवाल पुत्र रामशंकर जायसवाल सा0 गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती, हाल पता सरकारी आवास सीएसची हैसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्धी के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त पवन कुमार जायसवाल को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास तथा 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।